राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1544 / 2024

किरण सांसी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, टोंक।
4. उप वन संरक्षक, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.03.2023
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल कुमार शुक्ला, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा निलम्बन आदेश 18.11.2022 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है। अपील के अनुसार अपीलार्थी वन विभाग में वन रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके काम के बारे में कोई शिकायत नहीं थी और समय–समय पर उसकी सेवाओं की सराहना की गई थी। उनका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ और बेदाग रहा है। वह वन विभाग में वन रक्षक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 03.12.2020 को अपीलार्थी के खिलाफ एक झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर संख्या 298 / 2020 राकेश कुमार पुत्र प्रहलाद मीना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 & 7A और 384,120 IPC के तहत दर्ज की गई (अनुलग्नक–1)। प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा आदेश दिनांक 18.11.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा बिना किसी प्रारंभिक जांच के अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर अभी भी जांच के अधीन है एवं अभियोजन मंजूरी के अभाव में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। आपराधिक मामले की सुनवाई में लंबा समय लगेगा और अपीलार्थी अभी भी लंबे समय से अर्थात् दिनांक 18.11.2022 से निलंबित है। एफआईआर संख्या 298 / 2020 में एसीबी टोंक द्वारा 27.12.2022 को चालान दायर किया गया था (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–4 के समक्ष दिनांक 09.04.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

उसके निलम्बन को खत्म कर बहाल किया जावे। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आदेश दिनांक 10.05.2023 पारित कर अपीलार्थी को बहाल करने की अभिशंषा की गई (अनुलग्नक–4)। माननीय उच्च न्यायालय ने सामान्य प्रकरण में रिट याचिका संख्या 189/2022 अनिल कुमार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में समान मुद्दे का फैसला किया था, जिसका निर्णय 10.01.2022 को किया गया था और एक अन्य रिट याचिका संख्या 14831/2020 यशपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य जो 10.02.2022 को तय किया गया था और एक अन्य रिट याचिका संख्या 1069/2023 विनोद कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य जिस पर दिनांक 24.01.2023 को निर्णय लिया गया था। एक अन्य अपील नं. 1529/2023 कुंज बिहारी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य जिसका निर्णय दिनांक 14.06.2023 को हुआ था (अनुलग्नक–5)। अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उस पर विचार किया गया जो कि मनमाना है। अतः अपील प्रस्तुत कर लम्बे समय से चल रहे निलम्बन आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी को समस्त परिणामिक परिलाभ सहित बहाल करने का अनुतोष चाहा।

2. विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 22.03.2023 जारी किया गया है, जो आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में है। उपरोक्त परिपत्र में दिशा–निर्देश क्रमांक ए–1 एवं ए–2 अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू होते है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

> ''ए–1 किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जायें।
>
> लोकसेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।
>
> ए–2 भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य प्रकरणों (रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी से भिन्न) में, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रकरणों में यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व

में निलम्बित नहीं किया गया है तो प्रकरण में लोकसेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।''

3. प्रस्तुत प्रकरण में दर्ज एसीबी प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी होना एवं सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जाना पाया जाता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग ने यह निर्देश दिये जाते हैं कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण को पुनरावलोकन समिति के समक्ष अपीलार्थी के निलम्बन आदेश दिनांक 18.04.2022 (अनुलग्नक–2) के संबंध में विचारार्थ रखा जाये एवं पुनरावलोकन समिति नियमानुसार उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की रोशनी में अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करेगी।
4. उक्त कार्यवाही दो माह की समयावधि में सम्पादित करना सुनिश्चित किया जावे। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य